दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(83)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प, उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

निगरानी/मंदसौर/भू.रा/2018/1666

1– कचरूसिंह पिता श्री भुवानसिंह गुर्जर, आयु 71 वर्ष, धंधा खेती,

2– पर्वतसिंह पिता कचरूसिंह गुर्जर, आयु 34 वर्ष, धंधा खेती निवासीगण–ग्राम ढाबलामहेश तहसील सुवासरा जिला मंदसौर (म.प्र.)

———प्रार्थी / निगरानीकर्तागण

प्रार्थी अभिभाषक श्री कुं. दिग्पाल सिंह कुमावत
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 03-02-18
अधीक्षक 3.2.18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

कैम्प उज्जैन
पर प्राप्त
2/2/18

विरूद्ध

दशरथ पिता श्री राघुजी गुर्जर, निवासी–ग्राम ढाबलामहेश तहसील सुवासरा जिला मंदसौर (म.प्र.)

———प्रतिप्रार्थी / उत्तरदाता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय, तहसील सुवासरा जिला मंदसौर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 08 / अ–13 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 01 / 02 / 2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित आधारों पर निगरानी का प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत हैं :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, उत्तरदाता द्वारा प्रार्थी निगरानीकर्तागण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 131 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें निवेदन किया गया कि प्रार्थी उत्तरदाता के स्वामित्व एवं मालिकी की भूमि ग्राम ढाबलामहेश के

निरंतर....2

XXIX(a)-BR(H)-11

(83)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2018/1666

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्पाल सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	